दाजू | रामनिवास

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
27.7.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया	अपील दर्ज रजिस्टर हो	विद्वान वकील अपीलांट की बहस सुनी	विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि में मैं सह खातेदार हूं	कानून सह खातेदार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता	परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तौर पर मुझे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया	इसके बाद तारीस दर तारीख पेशी दी जा रही है	जबकि C.P.C. के प्रावधानों के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र का निस्तारण ०१ माह के अन्दर कर देना चाहिये था	अपीलाधीन निर्णय मुझे सुने बिना पारित किया गया है	प्रतिवादी संख्या ०५ शेरसिंह की मृत्यु वाद पत्र पेश करने से पूर्व ही हो चुकी थी, परन्तु उसे पक्षकार बना दिया	इसी प्रकार सह खातेदार किशोरी का भी देहान्त हो चुका है	उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है	इस प्रकार वाद पत्र डिफेक्टिव है	मैं विवादित भूमि का सह खातेदार हूं	अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में मुझे मेरी सह खातेदारी की भूमि के उपयोग, ~~उपभोग~~ उपभोग एवं उसे हस्तांतरित करने से वंचित नहीं किया जा सकता	तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है	अतः उसे अपास्त किया जावे | हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर मनन किया	दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट ने		

— लगातार पीछे —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

बताया कि तहत अदालत में तकासमा का वाद जेरकार है। किस प्रकार का कितने हिस्से और किस दिशा में टाइटल बनता है, इसका निर्णय तो मूल वाद में होना है। हम यहां धारा 212 आर॰टी॰ एक्ट में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अपील का निस्तारण कर रहे हैं। चूंकि अपीलांट प्रश्नगत भूमि का सह खातेदार है। उसे भी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिये। अपीलाधीन निर्णय उसे बिना सुने पारित किया गया है। अतः उभयपक्ष की सुनवाई कर आदेश 39 नियम 3क CPC में दिये गये समयावधि में धारा 212 का प्रा० पत्र का निस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को निर्देशित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर तहत अदालत को निर्देशित किया जाता है कि वो धारा 212 आर॰टी॰ एक्ट के प्रा० पत्र में उभयपक्ष को सुन कर उक्त प्रा॰ पत्र का निस्तारण C॰P॰C॰ के आदेश 39 नियम 3(क) में दी गई समयावधि ०1 माह के अन्दर करे, तब तक तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दि० 26.10.2020 स्थगित किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहत अदालत को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर